



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-17/2019-685 दिनांक : 18/7/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल / देवघर वन प्रमण्डल / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल / चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल / कोडरमा वन प्रमण्डल / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल / गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल / रामगढ़ वन प्रमण्डल / बोकारो वन प्रमण्डल / धनबाद वन प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, शीघ्र बढ़ने वाले पौधा का रोपण एवं नदियों के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल रु0 896.318 लाख (आठ करोड़ छियान्वे लाख एकतीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योबो-28 / 2019-08 / स्वी0 व0प0 दिनांक 18.06.2019 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-28 / 2019-62 / आ0 व0प0 दिनांक 28.06.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 896.318 लाख (आठ करोड़ छियान्वे लाख एकतीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	645.399
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	250.919
कुल :-		896.318

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क)** से **(घ)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से **(ग)**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवरिथ्त कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।


14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समस्या सुनिश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-17/2019-685 दिनांक- 18/7/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/ बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/ गिरिडीह/ बोकारो/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-17/2019-685 दिनांक- 18/7/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ देवघर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ गिरिडीह/ रामगढ़/ बोकारो/ धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेकर्न) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेएर में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			42184.38	15921.74	58106.12
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड़डा वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
2	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
3	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	150.00	63.277	23.882	87.159
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
6	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	150.00	63.277	23.882	87.159
7	साठवाठा प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	42.184	15.922	58.106
योग :-		600.00	253.106	95.530	348.636

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु० 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेन में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			36385.54	14332.74	50718.28
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड़डा वन प्रमण्डल	100.00	36.386	14.333	50.719
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	150.00	54.578	21.499	76.077
3	कोडरमा वन प्रमण्डल	50.00	18.193	7.166	25.359
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	18.193	7.166	25.359
5	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	18.193	7.166	25.359
6	बोकारो वन प्रमण्डल	100.00	36.385	14.333	50.718
7	साठोवाठो प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	36.385	14.333	50.718
योग :-		600.00	218.313	85.996	304.309

F:\DEVELOPMENT\2019-20\Allotment\SCSP\Notified Forest & Soil Conservation\S.O. 08 dt 18.06.2019 (8)\Advance work (SCSP)

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेएर में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			41527.03	17932.74	59459.77
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	40.00	16.611	7.173	23.784
2	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	20.764	8.966	29.730
3	कोडरमा वन प्रमण्डल	25.00	10.382	4.483	14.865
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	50.00	20.763	8.966	29.729
योग :-		165.00	68.520	29.588	98.108

अनुलग्नक-1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदियों के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेकर्न) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेएर में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			42184.38	15921.74	58106.12
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	42.184	15.922	58.106
2	बोकारो वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
4	धनबाद वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
योग :-		250.00	105.460	39.805	145.265
सकल योग :-		1615.00	645.399	250.919	896.318

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची


**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेंड)**

पौधों की संख्या प्रति हेंड : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क. वित्तीय वर्ष 2019-20 अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेंड	3.00	749.49	0.00	749.49	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेंड	7.00	1748.81	0.00	1748.81	
3	घेरान कार्य –			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संबदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन प्रति हेंड	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हेंड अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान नियोजित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेंड (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेंड	36.50	9118.80	0.00	9118.80	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेंड	16.50	4122.20	0.00	4122.20	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थानीय पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर दृश्य में Presprout के उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग- 90. कंटूर ट्रैच साईज 5 मी० x 0.30 x 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोडनी कर रखा जाना	हेंड	55.00	13740.65	0.00	13740.65	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य			9706.48	0.00	9706.48	
	योग—		130.00	42184.38	15921.74	58106.12	


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची
 SC


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हेंड)

पौधों की संख्या प्रति हेंड : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

रेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2019-20 अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेंड	3	749.49	0.00	749.49	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेंड	7	1748.81		1748.81	
2.2	कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हेंड	10	2498.30		2498.30	
3	धेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन ढारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 घेन पति हेंड	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हेंड अनुमानिक 6 घेन (मशीन ढारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। रथल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि धेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी X 0.3 मी.) 0.027 क्यू०मी० 1000 पीट प्रति हेंड (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेंड	22	5496.26		5496.26	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग / सिल्ट रिट्रैंशन डेम / कंट्रूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेंड	45	11242.35		11242.35	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेंड	10	2498.30		2498.30	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा धेरान सामग्री आदि)	हेंड		0.00	2400.00	2400.00	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर दयूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
8	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेंड		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हेंड		9154.07	0.00	9154.07	
योग :-			109.00	36385.54	14332.74	50718.28	


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेंड)

पौधों की संख्या प्रति हेंड : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मीटर \times 2 मीटर

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2019-20 अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेंड	3	749.49	0.00	749.49	
2	सामान्य झाड़ी	हेंड	7	1748.81		1748.81	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हेंड	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हेंड 0 अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. \times 0.3 मी. \times 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 2500 पीट प्रति हेंड (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेंड	55	13740.65	0.00	13740.65	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिं/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेंड	10	2498.30		2498.30	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हेंड	25	6245.75		6245.75	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर टट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हेंड		0.00	6000.00	6000.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेंड		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हेंड		13546.07	0.00	13546.07	
योग :-			112.00	41527.03	17932.74	59459.77	


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वयन की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।


क्रं सं 0	वन प्रमंडल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रभाग	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट नं०	कुल एक्वा (हेक्टर)
i	ii	ii	iv	v	vi	vii	vii
1	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	गोड्डा सुन्दरपहाड़ी	गोड्डा—575 सुन्दरपहाड़ी—06	हुल्लू भवानी केशवारी	गोड्डा—575 सुन्दरपहाड़ी—06	30, 37, 40, 44, 50, 55, 550, 555 4, 257, 254	20 30
							50
2	देवधर वन प्रमंडल, देवधर	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवधर	देवधर	माझियाना	देवधर—104	1, 2, 3, 60, 95	30
		भू-संरक्षण प्रक्षेत्र, देवधर	सारवा	हेठ सप्तता उपर सप्तता	सारवा 43, 41	99, 19, 2	20
							50
3	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	हंटरगंज वनरोपण चतरा वनरोपण हंटरगंज	हंटरगंज कान्हाचटी हंटरगंज	पण्डरी आरुमाड़ा भागेवार उर्फ रवैया	हंटरगंज—103 चतरा—52 हंटरगंज—26	412, 419, 420, 496p 112, 217p 259, 274] 283	50 50 50
							150
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	दारु बागोदर वनरोपण	सदर बागोदर	लंडियुद्द कुसमालीह	हजारीबाग—184 बगोदर—75	1103, 1104, 172p, 412p, 413, 179p	25 25
							50
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	हजारीबाग वनरोपण प्रक्षेत्र	बरही	केदारलत	बरही—5	370p, 371p, 373p, 374	50
							50
6	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	गावाँ पारसनाथ खुरचुटा डुमरी		भेलवाधाटी पीरटांड बोंगावाद डुमरी	देवरी (भेलवाधाटी)—60 पीरटांड—05 बोंगावाद—110 डुमरी—68	411, 424, 476, 81, 5, 2, 4, 806, 901, 414, 608, 768, 848, 859, 880, 899 पीरटांड—05 बोंगावाद—110 डुमरी—68	60 25 35 30
							150

क्र० सं	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रभाग	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट नं०	कुल रक्वा (₹०)
7	सामाजिक वानिकी प्रमाण्डल, कोडरमा	वौपारण कोडरमा डोमाच	इटखोरी वौपारण	सारधवाटांड डेबो	वौपारण-296 वौपारण-315	65, 93	30
				माथाखेरा	सतगावा-32	13p, 17p	30
			योग :-			100	40
			सकल योग :-				600


प्रधान मुख्यमन्त्री सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जंतियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वर्णों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (हेक्टेक्टर)
i	ii	ii	iv	v	vi	vii	vii
1	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा सुन्दर पहाड़ी वन प्रक्षेत्र बोजारीजोर वन प्रक्षेत्र	सुसानी बोजारीजोर	सुन्दरपहाड़ी-22 बोजारीजोर-64	सुरला पहाड़	सुन्दरपहाड़ी-22 बोजारीजोर-64	164, 1390 217, 228	50 50
2	चातरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चातरा चौपाराण वनरोपण सिमरिया वनरोपण	गिर्द्वार सोहरकेवटा सेहरकला	गोरियाटांड सिमरिया-142 सिमरिया-144	गिर्द्वार सोहरकेवटा सेहरकला	गिर्द्वार-02 सिमरिया-142 सिमरिया-144	26 403, 404, 405, 483, 484, 485 806, 807, 808, 809	50 60 40
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा सतगावाँ	गजाणी सतगावाँ	चंदवारा सतगावाँ	वरहरीया करमा	कोडरमा-241 सतगावाँ-103	141 to 150, 167 to 174, 177, 179 7P, 8P, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18	30 20
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	बगोदर वनरोपण गोमिया	सरिया गोमिया	चौधरीडीह जरीया	बगोदर-42 गोमिया-02	1027P, 1023 1, 154	30 20
5	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	माण्डू	माण्डू	माण्डू	माण्डू-114		50
6	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	बोकारो गोमिया	नावाडीह गोमिया	चपरी कपड़ेर	नावाडीह-73 गोमिया-45		50 50
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	मरकच्चो डोमचांच कोडरमा	मरकच्चो कोडरमा	परसाबाद अच्चाबाद कलीडीह	मरकच्चो-97 सतगावाँ-143 कोडरमा	295, 296, 299, 301 1060, 749, 559 1, 56, 58, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83	40 30 30
						सकल योग	100 600


प्रधान मुख्यमंत्री सरकार, विकास, इसरखाड़, राँची


वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वयित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (अनुसूचित जटियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी ।

क्र. सं.	वन प्रमाण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	आना एवं आना संख्या	खाँट संख्या	कुल रकमा (हेक्टेक्टर)
1	गोड्डा वन प्रमाण्डल, गोड्डा	गोड्डा वन प्रक्षेत्र	गोड्डा	अमरपुर	गोड्डा-534	3601, 3643, 3659, 3759, 3724,	30
योग							
2	देवधर वन प्रमाण्डल, देवधर	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवधर	सारवा	हरदकोल	सारवा-231	15p, 199p	30
योग							
3	कोडरमा वन प्रमाण्डल, कोडरमा	डोमचांच	मरकांच्चो	बेला उफ़ लबनियाँ	मरकांच्चो-112	1389, 1390, 1393P, 1391P	25
योग							
3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमाण्डल, हजारीबाग	बरही		पहाड़पुर	बरही-112	6P, 7, 8, 59, 60P	50
योग							
50							


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
शारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कायान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं मू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जटियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत नदियों के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं	वन प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	नदी का नाम	नदी का उदगम स्थल	आना एवं आना संख्या	कुल रकवा (हेक्टेक्टर)
1	गिरिझीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिझीह	बैंगबाद वनरोपण	बैंगबाद	दमगाड़िया नदी	महेशपुर उपर्युक्त तिरतेबोनी	अहिल्यापुर-491	30
		जमुआ वनरोपण	देवरी	उसरी नदी	तरलीहा	जमुआ-476	70
					नयासाखो	जमुआ-495	
					नावाबाध	जमुआ-493	
							100
2	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	पेटरवार	कसमार	खांजो नदी	तुमरकुदर	कसमार-129	50
			योग :-				50
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	माण्ड	माण्ड	चुटही नाला	करगी	माण्ड-68	50
			योग :-				50
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	तोपचांदी	तोपचांदी	नालियो नाला (करतसी नदी)	बेलमी	तोपचांदी-41	50
			योग :-				50
			सकल योग :-				250


प्रधान-मुख्य वन संरक्षक, विकास,

ज्ञारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/685

दिनांक -


18-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103	43236	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	7,408,900.00 रुपये चौहत्तर लाख आठ हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601789580103	43237	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO, FOR.DIV.DEO.	4,185,600.00 रुपये इकलालीस लाख पिच्चारी हजार सौ सी
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601789580103	43238	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	6,327,700.00 रुपये तीरसठ लाख सत्ताइस हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
				17,922,200.00


योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड उन्नासी लाख बाइस हजार दो सौ



 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
 PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43239	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	5,457,800.00 रुपये चौपन लाख सत्तावन हजार आठ सौ
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43241	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	2,857,500.00 रुपये अठाइस लाख सत्तावन हजार पाँच सौ
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43244	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	3,928,500.00 रुपये उनचालीस लाख अठाइस हजार पाँच सौ
योग: 12,243,800.00				
क्रमिक योग: 30,166,000.00				



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103	43245	HZBFWL005	4,185,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	रुपये इकतालीस लाख पिचयासी हजार पैसे सौ
8	S 19 240601789580103	43247	GRDFOR001	6,327,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	रुपये तीरसठ लाख सत्ताइस हजार सात सौ
9	S 19 240601789580103	43248	GRDFOR003	4,218,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	रुपये बयालीस लाख अठारह हजार चार सौ
योग:				14,731,600.00
क्रमिक योग:				44,897,600.00
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF DEV JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580103	43249	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	3,928,500.00 रुपये उनचालीस लाख अठाइस हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601789580103	43250	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, BOKARO	5,747,700.00 रुपये सत्तावन लाख सैतालीस हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601789580103	43252	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,109,200.00 रुपये इक्कीस लाख नौ हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
योग:				11,785,400.00
क्रमिक योग:				56,683,000.00
 (SRI VIRENDRA SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580103	43253	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	7,856,900.00 रुपये अठहत्तर लाख छप्पन हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
14	S 19 240601789580323	43254	GDFFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	2,946,700.00 रुपये उन्नीस लाख छयालीस हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
15	S 19 240601789580323	43256	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,692,700.00 रुपये सोलह लाख बयानवे हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
योग:				12,496,300.00
क्रमिक योग:				69,179,300.00
<p>रुपये छ: करोड इनकानवे लाख उन्नासी हजार तीन सौ</p> <p> (SBL VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI</p>				


क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43257	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	2,388,200.00 रुपये लेइस लाख अड्यासी हजार दो सौ
17	S 19 240601789580323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43258	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,149,900.00 रुपये इक्कीस लाख उनचास हजार नी सौ
18	S 19 240601789580323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43259	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	1,164,900.00 रुपये ग्यारह लाख चौसठ हजार नी सौ


योग:

5,703,000.00

क्रमिक योग:

74,882,300.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43260	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	1,512,700.00 रुपये पंद्रह लाख चार हजार सात सौ
20	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43261	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	1,692,700.00 रुपये सोलह लाख बयानवे हजार सात सौ
21	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43262	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	2,388,200.00 रुपये तेहस लाख अट्यासी हजार दो सौ
योग: 5,593,600.00				
क्रमिक योग: 80,475,900.00				
 (SRI. VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789580323	43263	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,592,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		रुपये पंद्रह लाख बयानदे हजार दो सौ	
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
23	S 19 240601789580323	43264	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,512,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		रुपये पंद्रह लाख बारह हजार सत्ते सौ	
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
24	S 19 240601789580323	43265	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D F O, BOKARO	2,229,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		रुपये बाइस लाख उन्नीस हजार चार सौ	
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
योग:				5,334,300.00
क्रमिक योग:	रुपये आठ करोड़ अठावन लाख दस हजार दो सौ			85,810,200.00
			 (S. VILRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601789580323	43266	DHNFOR001	796,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI BIMAL LAKRA	रुपये सात लाख छयानवे हजार एक सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DIVISIONAL FOREST OFFICER	
	58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
26	S 19 240601789580323	43267	KDMFORA02	3,025,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		KANAK KISHORE	रुपये तीस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O (S.F.) KODERMA	
	58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		


योगः

3,821,600.00

क्रमिक योगः

रुपये आठ करोड़ छयानवे लाख इकतीस हजार आठ रुपी

89,631,800.00



(SRI VIKRAM SINGH GAUR, IFS)
PCCF, DEV.JHARKHAND RANCHI